दिनांक 02.09.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में खुले में शौच व पेशाब करने वालों पर लगेगा जुर्माना

भिलाईनगर/ स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के सर्वे में शामिल किये जाने वाले विषयों की जानकारी एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने हेतु निगम के सभागार में अधिकारी, कर्मचारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आयुक्त के0एल0 चौहान ने कहा कि निगम के अधिकारी, कर्मचारियों की प्रयास से भिलाई शहर खुले में शौच से मुक्त शहर घोषित किया गया है आगामी सर्वेक्षण के लिए भी हमें कमर कसकर एवं नागरिकों से सहयोग लेकर भिलाई शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–01 बनाना है।

राज्य शहरी विकास अभिकरण रायपुर से आये पुनीत बब्बर, तथा हर्ष यादव ने सभागार में अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, सहायक अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, पर्यवेक्षक, सुपरवाईजर, को आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की जानकारी देते हुए बताया कि देश के 4041 निकायों में 04 जनवरी से 25 मार्च 2018 तक एक साथ स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। जिसके तहत् 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को नेशनल रैंकिंग में शामिल किया गया है। इस बार सर्वेक्षण में विभिन्न विषयों पर कुल 4 हजार अंक निर्धारित किये गये हैं जिसमें मुख्य रुप से 4 पैमाना निर्धारित कर कार्य का विभाजन किया गया है। शहर की सफाई, आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र शौचालय निर्माण के बाद उसके इस्तमाल सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय के रखरखाव, पानी की उपलब्धता, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों का 3 चरणों में सफाई, रेलवे बस स्टैण्ड के आसपास 500 मीटर तक के दुकानों के साथ ही शहर के दुकानों से निकलने वाले दैनिक कचरे का संग्रहण, दुकानों में डस्टबीन की उपलब्धता, घर–घर कचरा संग्रहण, सार्वजनिक शौचालयों में दिव्यांगों के लिए सरल सुलभ पहुंच हेतु रैंप व रैलिंग की उपलब्धता, जैसे विषयों पर अंक निर्धारित किये गये हैं। शहर से निकलने वाले सुखे एवं गीले कचरे का निष्पादन एवं जैविक खाद बनाने तथा उसकी उपयोगिता के साथ ही नगर के ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाईल पर स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने पर भी रैंकिंग में नम्बर दिये जायेंगे।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में यह प्रावधान किया गया है कि जो शहर खुले शौच से मुक्त हो गये हैं वहॉ यदि कोई खुले में शौच अथवा पेशाब करते पाये जाते है तो जुर्माने की कार्यवाही किया जायेगा। सफाई कार्य में लगे स्वच्छता मित्रों को सुरक्षा के मानक के आधार पर मास्क, हैण्ड ग्लोब्स, गमबुट, उपलब्ध कराकर उसकी उपयोगिता के जांच के बाद उसके अंक प्रदान किये जायेंगे। पूर्व में घोषित स्वच्छता ब्राण्ड एम्बेस्डर, द्वारा स्कुल कॉलेज सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का प्रचार–प्रसार एवं उनके द्वारा आयोजित कार्यशाला को भी रैंकिंग की परिधि में शामिल कर अंक निर्धारित किये गये हैं। रेड पीकर को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी अंक प्रदान किये जायेंगे।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने उपस्थिति अधिकारी, कर्मचारियों से कहा कि निगम क्षेत्र में चिन्हित 16 व्यवसायिक परिसरों में 3 पाली में सफाई व्यवस्था प्रारंभ करें सार्वजनिक एवं सामुदायिक

शौचालयों में प्रकाश व्यवस्था एवं पानी की उपलब्धता के साथ उसकी साफ–सफाई पर विशेंष ध्यान दें। पार्षद, जनप्रतिनिधि, स्वच्छता दुत, महिला स्व–सहायता समुह, सियान सदन, में आने वाले नागरिकों के अलावा शहर के प्रबुद्धजनों को स्वच्छता के कार्य से जोड़कर स्वच्छता रैंकिंग 2018 में भिलाई शहर को नम्बर–01 बनाने के लिए अभी से जुट जायें ताकि भिलाई शहर की पहचान प्रदेश सहित देश में बन सके।

जन सम्पर्क विभाग